उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-25/2015/सीपी 553/84-2-2015-सीपी 3/2011
लखनऊ : दिनांक : 16 सितम्बर, 2015
कार्यालय ज्ञाप

श्रीमती रेनू शर्मा पत्नी स्व0 श्री अशोक शर्मा द्वारा श्री अरविन्द शर्मा, 218, जयपुर हाउस, आगरा की नियुक्ति शासन की अधिसूचना संख्या-सीपी 222/84-2-2011-सीपी 3/2011, दिनांक 10 मई, 2011 द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, चित्रकूट में महिला सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर की गयी थी। कालान्तर में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- सीपी 268/84-2-2013-सीपी 6/2008, दिनांक 20 जून, 2013 द्वारा श्रीमती रेनू शर्मा का स्थानान्तरण उनके स्वयं के अनुरोध पर जिला उपभोक्ता फोरम, हाथरस में महिला सदस्य (पूर्णकालिक) के पद पर किया गया था।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या - 2668/एससीडीआरसी/अधि/97/11, दिनांक 19 अगस्त, 2015 द्वारा श्रीमती रेनू शर्मा के पत्र दिनांक 10 अगस्त, 2015 की प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि श्रीमती रेनू शर्मा ने अपने उक्त पत्र में निवेदन किया है कि उनकी नियुक्ति सहायक अध्यापिका के पद पर हो जाने के कारण वे दिनांक 10 अगस्त, 2015 से महिला सदस्य के पद से त्यागपत्र दे रही हैं। निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा श्रीमती रेनू शर्मा, महिला सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, हाथरस का त्यागपत्र दिनांक 10 अगस्त, 2015 से स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, हाथरस के महिला सदस्य (पूर्णकालिक) के पद से श्रीमती रेनू शर्मा पत्नी स्व0 श्री अशोक शर्मा द्वारा श्री अरविन्द शर्मा, 218, जयपुर हाउस, आगरा द्वारा स्वेच्छा से दिये गये त्यागपत्र को दिनांक 10 अगस्त, 2015 से स्वीकार करने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-25/2015/सीपी 553/84-2-2015-सीपी 3/2011, तददिनांक
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ।
(2) जिलाधिकारी, हाथरस ।
(3) कोषाधिकारी, हाथरस ।
(4) कार्यालय, जिला उपभोक्ता फोरम, हाथरस (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(5) श्रीमती रेनू शर्मा पत्नी स्व0 श्री अशोक शर्मा द्वारा श्री अरविन्द शर्मा, 218, जयपुर हाउस, आगरा।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।